न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019-00169RAAJodhpur2019-083RTA223 Imamdin etc Vs Aakhukhan etc

01. इमामदीन पुत्र निहालदीन
02. रातो पत्नी निहालदीन
    जातियान् मुसलमान, निवासीगण ग्राम हाजीनगर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. आकुखां पुत्र शेरखां
2. मोहम्मद हनीफ पुत्र शेरखां
3. हासमदीन पुत्र शेरखां
4. मोहम्मद सलाम पुत्र शेरखा
5. सिकंदर पुत्र शेरखां
6. बसीर पुत्र शेरखां
7. रहमत पुत्री शेरखां
8. कलसुम पत्नी मजीद खां
9. अब्दुल जबार पुत्र मजीद खां
10. इलियास पुत्र मजीद खां
11. सारस खां पुत्र मजीद खां
12. जेबेनशा पुत्र मजीद खां
13. हसीना पुत्री मजीद खां
14. इब्राहिम पुत्र हलीम खां
15. ताजा मोहम्मद पुत्र हलीम खां
16. मोहम्मद पुत्र कमरदीन
17. रहीमबक्स पुत्र कमरदीन
18. कासम पुत्र अलाबचा
19. कायमों पत्नी नूरमोहम्मद
20. अयुब पुत्र मोहम्मद हनीफ
21. इदरिश पुत्र सिकंदर
    सभी जातियान् मुसलमान सभी निवासीगण ग्राम हाजीनगर, तसहील बाप, जिला जोधपुर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2019 सहायक कलक्टर, बाप राजस्व मूल वाद संख्या 199/2016 आकू खां व अन्य बनाम इमामदीन इत्यादि

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

रेस्पोडेंट संख्या एक से इक्कीस बावजूद सूचना के अनुपस्थित

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या बाईस

नि र्ण य

दिनांक : 29 जूलाई 2021

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर, बाप राजस्व मूल वाद संख्या 199/2016 आकू खां व अन्य बनाम इमामदीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 02 अगस्त 2019 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तेरह वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम हाजीनगर पटवार क्षेत्र मलार तहसील बाप के खसरा नं. 17 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 72 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 74 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा कुल रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा स्थित है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक व दो का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या तीन से नौ का 1/4

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हिस्सा स्थित है। वादीगण रेस्पोडेंट संख्या एक ता तेरह द्वारा वाद में यह भी तथ्य अंकित किये कि उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से पूर्व में बंटवाड़ा हो चुका है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में भूमि संयुक्त रूप से चली आ रही है, जिसका वाद के साथ नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा किया जावे। जमाबंदी में खाते अलग किये जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम अंकित की जावे। उक्त वाद का अपीलार्थीगण को कभी कोई नोटिस नहीं मिला तथा उनके विरुद्ध गलत रूप से एकतरफा कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण रेस्पोडेंट संख्या एक ता तेरह के बंटवाड़ा प्रस्ताव को स्वीकार कर वाद में अंतिम डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना कोई सूचना दिये बिना कोई बंटवाड़ा प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर दिये अंतिम डिक्री पारित कर दी जो किसी भी सुरत में बहाल रखने काबिल नहीं है। अपीलार्थीगण को उक्त वाद का कभी भी कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा वादी के अधिवक्ता द्वारा पेश रजिस्टर्ड ए.डी. रसीदों को सही मानते हुए अपीलार्थीगण के विरुद्ध गलत रूप से एकतरफा कार्यवाही कर दी, जबकि वास्तव में अपीलार्थीगण को कभी भी कोई उक्त वाद की सुनवाई का नोटिस प्राप्त ही नहीं हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत अपीलार्थीगण को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया न ही विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियां पेश होने का अवसर दिया। विभाजन प्रस्ताव तैयार होने से पूर्व तहसीलदार द्वारा भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। तमाम कार्यवाही एकतरफा रूप से की गई, इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त करने काबिल है। विचारण न्यायालय ने धारा 53 के वाद में नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं के द्वारा तैयार नही किया हुआ है। हल्का पटवारी द्वारा बिना मौके पर आये वादीगण रेस्पोडेंट संख्या एक ता तेरह के कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिया तथा उसी विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक ता तेरह वादीगण द्वारा अपने वाद में पेश नजरी नक्शा अनुसार वाद को डिक्री किया है, जबकि बंटवाड़े के वाद में कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश कानून की नजर में कोई आदेश ही नहीं है। इस आदेश में न तो कोई कारण दर्शाये गये है ओर न किसी बिंदु पर कोई फाईंडिंग दी गई है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये जिस प्रकार बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया गया है तथा जिस स्थान पर खसरा नं. 17 में अपीलार्थीगण को भूमि बंट में दी गई है, उस स्थान पर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं रखा तथा इसी प्रकार खसरा नं. 72 में भी अपीलार्थीगण के बंट में रखी गई भूमि में कोई रास्ता नहीं रखा गया है तथा इन दोनो खसरों में अपीलार्थीगण को अंतिम छोर पर भूमि बंट में दी है। धारा 53 के वाद में बंटवाड़ा प्रस्ताव में प्रत्येक सह खातेदार को रास्ता उपलब्ध करवाना कानूनन लाजमी है। विचारण न्यायालय द्वारा तमाम कार्यवाही जल्दबाजी में करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। उक्त वाद में वादी संख्या आठ मरीमो का दौराने वाद देहांत हो चुका था, उसके कायम मुकाम को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बिना रेकर्ड पर लिये तथा बिना उसका नाम डिलिट किये अपीलाधीन डिक्री व निर्णय पारित कर दिया जो बहाल रखने काबिल नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना ही उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। दिनांक 28.07.2019 को अपीलार्थीगण हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल लेने हेतु पटवारघर गये तो पटवारी द्वारा बताया गया कि उपरोक्त खसरों के संबंध में सहायक कलक्टर बाप से बंटवाड़े की डिक्री आई हुई है। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 29.07.2019 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 30.07.2019 को तैयार होकर प्राप्त हुई, उसको पढाने पर ही अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रथमबार जानकारी हुई। इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। प्रथमबार जानकारी से यह अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व वाद संया 199/2016 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2019 को निरस्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जावे कि अपीलार्थीगण एवं अन्य सभी खातेदारों की मौजूदगी में स्वयं तहसीलदार बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर रास्ता छोड़ते हुए पुनः अंतिम डिक्री जारी की जावें।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा पारित किया गया, **क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में रजिस्टर्ड ए.डी. से नोटिस भिजवाए जाने का कोई आदेश नहीं है। तामीली की सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं कर बिना आदेश रजिस्टर्ड ए.डी. भेजने और उसे तामील की श्रेणी में मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है।** लिहाजा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील नही मानी जा सकती, जिससे अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय पर जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अदालत हाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम एवं उसके संलग्न प्रस्तुत शपथपत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस पर विश्वास करते हुए अपील-अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा **दिनांक 28.11.2016** को वाद **दर्ज रजिस्टर** किया जाकर प्रतिवादीगण को **जरिये सम्मन तलब किये जाने का आदेश** पारित किया गया। वादीगण के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 24.03.2017 को **बिना किसी रजिस्टर्ड ए.डी. से सम्मन भेजे जाने के आदेश के प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए.डी.** से भेजे गए सम्मन की डाक रसीदे पेश की गई । विचारण न्यायालय द्वारा **पोस्टल रसीद प्रस्तुत करने के लगभग आठ माह बाद अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल** में लायी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रेषित पत्रांक 2018/एस.पी.एल.01 दिनांक 04.06.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार बाप द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में मौके पर गये बगैर तथा अपीलार्थीगण के हिस्से में आये **खसरा नं. 17 एवं 72 में आवागमन हेतु रास्ता नही रखा गया है** तथा न ही विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर है।

इन परिस्थितियों अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलाण्ट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 जनवरी 2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सभी पक्षकारान् को नये सिरे से सम्मन जारी कर बाद सम्यक तामील उनकी सुनवाई कर तहसीलदार स्वयं से नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चत कर विभाजन प्रस्ताव में उपयुक्त रास्ते का प्रावधान रखते हुए निर्णय/अंतिम डिक्री जारी करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/7/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर